



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 07.04.2025

विषय:-शादी के इरादे से नाबालिग को भगाने का आरोपी थाना लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी लंका के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.04.2025 को अभियुक्त रंजीत उर्फ कल्लू पुत्र स्व० सत्यनारायण निवासी बी 33/22 रोहित नगर नरिया थाना लंका कमि० वाराणसी को शीतला माता मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

घटना विवरण:-

दिनांक 02.02.2025 को आवेदक द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के घर से कहीं चले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करते हुए पीड़िता की सकुशल बरामदगी की गयी तथा प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को आज दिनांक 07.04.2025 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता- 1. रंजीत उर्फ कल्लू पुत्र स्व० सत्यनारायण निवासी बी 33/22 रोहित नगर नरिया थाना लंका कमि० वाराणसी उम्र 19 वर्ष ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक गिरफ्तारी 07.04.2025, शीतला माता मन्दिर के पास, थाना क्षेत्र लंका, कमि० वाराणसी ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु०अ०सं० 0037/2025 धारा 137(2) बी०एन०एस थाना लंका, कमि० वाराणसी।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. शिवाकान्त मिश्र, प्रभारी निरीक्षक, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ०नि० अभिषेक कुमार सिंह, चौकी प्रभारी संकटमोचन, थाना लंका, कमि० वाराणसी।
3. का० तहसीन अहमद, थाना लंका, कमि० वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त कार्यालय
जोन-काशी कमिश्नरेट वाराणसी